

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ 10, मंगलवार, शके 1947- जुलाई 01, 2025 Asadha 10, Tuesday, Saka 1947- July 01, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 26 मई 2025

संख्या जविप्रा/उपा-7/2025/डी-967 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तोपखाना देश गृ.नि.स.स. की आवासीय योजना नेम सागर के भूखण्ड संख्या 312 क्षेत्रफल 290.55 वर्गगज जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार व्यावसायिक दर्शाया गया है, का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 03.08.2024 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तोपखाना देश गृ.नि.स.स.आवासीय की योजना नेमी सागर के भूखण्ड संख्या 312 क्षेत्रफल 290.55 वर्गगज जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार व्यावसायिक दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 26-05-2025 को जारी की गई।

निशान्त जैन,
सचिव।